उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3
संख्या-43/2017/1711/52-3-2017-सा(5)/2014
लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2017

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2004) की धारा 21 और 24 के साथ पठित उक्त अधिनियम, 2004 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली, 2016 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते है:-

### उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2017

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम औ प्रारम्भ</td><td>1(1)<br><br>(2)</td><td>यह विनियमावली उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2017 कही जायेगी।<br>यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>भाग-3 में वर्णित विनियम-1 का संशोधन</td><td>2<br><br>(क)</td><td>उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली, 2016 जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में भाग 3 में वर्णित विनियम-1 में और "शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवायें" शीर्षक के अधीन-<br><br>नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप विनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-
<table>
<tr><th>स्तम्भ-1</th><th>स्तम्भ-2</th></tr>
<tr><td>विद्यमान विनियम<br>(1) मान्यता प्राप्त मदरसों में में कार्मिकों की नियुक्ति अधिनियम एवं इन विनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्ति, प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी। समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति संस्था प्रधान द्वारा की</td><td>एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियम<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त मदरसा में कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिनियम और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी। समूह "घ" के पद</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | की जायेगी। | पर नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी। |
| | (ख) | उप विनियम (3) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः- | |
| | | विद्यमान खण्ड<br>(क) मुंशी/मौलवी स्तर की संस्था- प्रधानाचार्य का 01, लिपिक का 01, कार्यालय अनुचर का 01, मुंशी/मौलवी कक्षाओं हेतु अध्यापकों 04 जिसमें एक शिक्षक वैकल्पिक विषय का होगा फौकानियां कक्षाओं हेतु 03 सहायक अध्यापकों के पद में से 01 वैकल्पिक विषय अध्यापक का होगा तहतानियां कक्षाओं हेतु 05 सहायक अध्यापकों के प मदरसा अनुदानित होने के समय सृजित मान ि जायेंगे। | एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड<br>(क) मंुशी/मौलवी स्तर की संस्था- प्रधानाचार्य 01, लिपिक 01, कार्यालय अनुचर 01 मंुशी/मौलवी कक्षाओं हेतु सहायक अध्यापक 04 जिनमें से एक अध्यापक वैकल्पिक विषय के लिए होगा, फौकानिया कक्षाओं हेतु सहायक अध्यापक 03 जिनमें से एक अध्यापक वैकल्पिक विषय के लिए होगा तथा तहतानियां कक्षाओं हेतु 05 अध्यापक के पद अनुदान के समय स्वीकृत र जायेंगे। कार्यालय अनुचर का 01 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जायेगा। |
| | (ग) | उप विनियम (7) में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गये खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः- | |
| | | स्तम्भ-1<br>विद्यमान खण्ड<br>(च) किसी भी मदरसे में यदि विद्यार्थियों की संख्या 500 तक हो जाती हैं तो शासन के अनुमोदन से अनुचर का एक अतिरिक्त पद अनुमन्य होगा। | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड<br>(च) किसी मदरसा में यदि विद्यार्थियों की संख्या 500 तक हो जाती हैं तो अनुचर का एक अतिरिक्त पद, राज्य सरकार के अनुमोदन से स्वीकृत किय जायेगा, ऐसे पद पर नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी। |
| भाग 3 में वर्णित विनियम-5 का | 3 | 3 | उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये भाग 3 में वर्णित विनियम-5 और शीर्षक "शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| **संशोधन** | | कर्मचारियों की सेवायें" के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः- |

| स्तम्भ-1 | स्तम्भ-2 |
|---|---|
| विद्यमान विनियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम |
| **05-चयन समिति- निम्नलिखित पद आधारि एक चयन समिति होगी-** | **05- चयन समिति- एक चयन समिति होगी,** जिसमें निम्नलिखित होगेंः- |
| **(एक)** मदरसा के प्रबन्ध समिति के अध्य - अध्यक्ष स (चतुर्थ श्रेणी के चयन हेतु गठित चयन समिति अध्यक्ष किसी भी रूप में उसके अंग नहीं होंगे) | **(एक)** मदरसा के प्रबन समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष |
| **(दो)** मदरसा के प्रबन्ध समिति द्वारा नामित दो शिक्षाविद, जिनमें से एक प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से हो सकता है- सदस्य | **(दो)** प्रबन्ध समिति द्वारा दो शिक्षाविद् नामनिर्दिष्ट कियेकिये जायेंगे, जिसमें एक सदस्य प्रबन्ध समिति का सदस्य हो सकता है- सदस्य |
| **(तीन)** मदरसा प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापव -सदस्य (चतुर्थ / श्रेणी कर्मी के चयन हेतु समिति का सदर / सचिव होगा) | **(तीन)** मदरसा का प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक- सदस्य |
| **(चार)** मदरसा का प्रबन्धव सदस्य/ सचिव (केवल चतुर्थ श्रेणी के चयन हेतु समिति का अध्यक्ष होगा) | **(चार)** मदरसा का प्रबन्धव - सदस्य सचिव<br><br>टिप्पणीः- किसी मदरसा में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी। |

**मोनिका एस. गर्ग**
**प्रमुख सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या- 1711(1)/52-3-17-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0

3- समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव , उ0प्र0 शासन

4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0

5- निदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।

6- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ

7- समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0

8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग -4 खण्ड "ख" में प्रकाशित कराने का कष्ट करें और मुद्रित अधिसूचना की 1000 प्रतियां इस अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9- निजी सचिव , मा ) मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को 0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

10- निजी सचिव , मा ) राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को मा0 राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

11- निजी सचिव , मा ) राज्य मंत्री, वक्फ एवं हज को मा0 राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव , मुख्य सचि , उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महो अवलोकनार्थ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा ) पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।